| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 3.04.24 | वकील वादी प्रार्थी वजूलजा फरीकान उपस्थित/अनुपस्थित/श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय ग़ैर हाज़िर (चुनाव ड्यूटी) पर है। अतः पत्रावली वास्ते प्रार्थी दिनांक 7/6/24 को पेश हो। | |
| 7.6.24 | वकील वादी प्रार्थी वजूलजा फरीकान उपस्थित/अनुपस्थित/श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय BPR ड्यूटी पर है। अतः पत्रावली वास्ते प्रार्थी दिनांक 12/06/24 को पेश हो। | |
| 12.06.24 | आज यह पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित बहस सुनी नहीं वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 19.06.24 को पेश हो। | |
| 19.6.24 | आज यह पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण प्रार्थी स्वीकार किया जाता है विधिक प्रावधान से लिखवाया जाकर खारिज किया पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार ~~कार्य~~ के बाद तामील जाब्ता दाखिल हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>भुसावर (भरतपुर) | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– सचिन यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण सख्या: 40/22 दायर दिनांक: 08.09.22
जीसीएमएस नं. 2022/286

प्रतापसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति राजपूत नि. बवेखर, तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—प्रार्थी

बनाम

राज. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956
अधिवक्ता– 1.श्री गोपालराम शर्मा —प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार —अप्रार्थी

<u>निर्णय दिनांक 19.06.2024</u>

प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 512 रकबा 0.58, 516 0.24 किता 2 कुल रकबा 0.82 हैक्टे. से 1/32 हिस्सा व आ.ख.नं. 504 रकबा 0.01, 505 रकबा 0.35, 513 रकबा 0.01, 514 रकबा 0.61 किता 4 कुल रकबा 0.98 हैक्टे. से 1/32 हिस्सा व आ.ख.नं. 130 रकबा 0.04, 201 रकबा 0.20, 226 रकबा 0.02, 242 रकबा 0.02, 244 रकबा 0.04, 250 रकबा 0.09 किता 6 कुल रकबा 0.41 हैक्टे. 1/10 हिस्सा व आ.ख.नं. 523 रकबा 0.18 हैक्टे. से 1/400 हिस्सा व आ.ख.नं. 194 रकबा 0.01, 195 रकबा 0.23 किता 2 कुल रकबा 0.24 हैक्टे. से 3/160 हिस्सा वाके ग्राम बवेखर तह. भुसावर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम प्रतापसिंह पुत्र भगवानसिंह सही अंकित किया गया है।

आ.ख.नं. 197 रकबा 0.81, 198 रकबा 0.59, 199 रकबा 0.28, 2000 रकबा 0.24 किता 4 कुल रकबा 1.89 हैक्टे. से 1/32 हिस्सा व ख.नं. 193/620 रकबा 0.70, 202 रकबा 0.62 किता 2 कुल रकबा 0.89 हैक्टे. से 1/32 हिस्सा वाके ग्राम बवेखर तह. भुसावर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम प्रतापसिंह पुत्र भगवानसिंह के स्थान पर करतारसिंह पुत्र भगवानसिंह सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है।

प्रार्थी के ग्राम पंचायत बवेखर द्वारा भी अशुद्ध नाम को शुद्ध प्रतापसिंह के नाम करने की अभिशंषा की है। निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र संख्या RJ/10/075/018226 में, आधार कार्ड क्रमांक 7646 2005 4223 में, परिवार राशन कार्ड संख्या 00600 में भी प्रतापसिंह पुत्र भगवानसिंह कौम राजपूत नि. बवेखर तह. भुसावर दर्ज है। जबकि खसरा नंबर 197, 198, 199, 200 व 193/620, 202 में सहवन से प्रतापसिंह पुत्र भगवानसिंह के स्थान पर करतारसिंह पुत्र भगवानसिंह दर्ज हो गया है।

अतः प्रार्थी द्वारा उक्त गलत नाम को शुद्ध किये जाने बाबत निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई। नोटिस की ताईद में तहसीलदार, भुसावर द्वारा जवाब में अवगत कराया कि करतारसिंह का असल नाम प्रतापसिंह पुत्र भगवानसिंह है।

हमने बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जैसे ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, नकल जमाबन्दी एवं तहसीलदार, भुसावर की रिपोर्ट का भली–भाँति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।



उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि वाके आ.ख.नं. 197, 198, 199, 200, 193/620, 202 वाके ग्राम बवेखर में प्रार्थी का करतारसिंह पुत्र भगवानसिंह के स्थान पर प्रतापसिंह पुत्र भगवानसिंह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)